न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O). सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–107/2021

प्रार्थी:–

ओमप्रकाश राठौड पुत्र सांवलराम जाति जीनगर निवासी मजल तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. **श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :–13.08.21

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा ठाकरखेडा पटवार मण्डल मजल खसरा संख्या 1128/755 रकबा 4.0469 हैक्टयर की भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम औमा पुत्र सांवल दर्ज है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज यथा आधारकार्ड,मतदाता परिचय पत्र,राशनकार्ड व जनआधार कार्ड , राज्य सरकारी जारी द्वारा परिचय पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश राठौड पुत्र सांवलराम दर्ज है। ग्राम पंचायत मजल द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश राठौड पुत्र सांवलराम अंकित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में औमा पुत्र सांवल नाम दर्ज होने से सराकरी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं औमा पुत्र सांवल व ओमप्रकाश राठौड पुत्र सांवलराम व औमा पुत्र सांवल नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर [illegible] को नोटिस जारी किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । वादग्रस्त भूमि रहन से होने से शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूघरा ग्रामीण बैंक द्वारा औमा पुत्र सांवल के स्थान पर ओमप्रकाश राठौड व औमा पुत्र सांवल दरूस्त किये जाने हेतु अनपत्ति प्रस्तुत की गई। वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:47:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

सहखातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत प्रार्थी द्वारा चाहे गये इस्तदुआ प्रदान किये जाने हेतु सहमति जाहिर की।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात, राज्य सराकरी द्वारा जारी परिचय पत्र व ग्राम पंचायत मजल द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर औमा पुत्र सांवल के स्थान पर ओमप्रकाश राठौड़ पुत्र सांवलराम किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,मतदाता परिचय पत्र,राशनकार्ड व जनआधार कार्ड ,राज्य सरकार द्वारा जारी परिचय पत्र दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम औमा पुत्र सांवल दर्ज है। ग्राम पंचायत मजल द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि औमा पुत्र सांवल व ओमप्रकाश राठौड पुत्र सांवलराम एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा ठाकरखेडा पटवार मण्डल मजल खसरा संख्या 1128/755 रकबा 04.0469 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम " औमा पुत्र सांवल' के स्थान पर "ओमप्रकाश राठौड पुत्र सांवलराम "शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदडी आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:47:16 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)